



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 358 राँची, गुरुवार, 11 आषाढ़, 1948 (श०)
2 जुलाई, 2026 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

9 जून, 2026

सं.सं. : 33-वि.(अपुनरीक्षित भत्ता)-138 / 2024 / 1816/वि.

विषय : राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.01.2026 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि. दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की भांति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से अपुनरीक्षित (छठा वेतनमान) केन्द्रीय पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका-17(ए०)(बी०) के अनुसार पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्रीय दर पर महंगाई राहत स्वीकृत किया गया है।

2. उपर्युक्त के अनुसार केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के भांति दिनांक 01.01.2006 (छठा वेतनमान) से राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत अनुमान्य किया जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगी, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को 257% (दो सौ सत्तावन प्रतिशत) महंगाई राहत अनुमान्य है।

3. केन्द्र सरकार के द्वारा अपने कर्मियों को दिनांक 01.01.2026 के प्रभाव से छठे वेतन पुनरीक्षण के लाभ के अनुरूप महँगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया गया है और इसके आलोक में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या 1/1(ii)/2026- E.II(B)] दिनांक 22.04.2026 के द्वारा छठे अपुनरीक्षित वेतनमान में महँगाई भत्ते की दर को 257% (दो सौ सत्तावन प्रतिशत) से बढ़ाकर 262% (दो सौ बासठ प्रतिशत) स्वीकृत किया गया है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र सरकार के उक्त निर्णय को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को वर्तमान में अनुमान्य महँगाई राहत की दर को निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:-

"राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को दिनांक 01.01.2026 के प्रभाव से महँगाई राहत 257% (दो सौ सत्तावन प्रतिशत) से बढ़ाकर 262% (दो सौ बासठ प्रतिशत) स्वीकृत किया जाय।"

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1686/वि० दिनांक दिनांक 22.05.2026 के क्रम में दिनांक 27.05.2026 की बैठक के मद सं० 12 में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,

सचिव,

वित्त विभाग, झारखंड, राँची।
